रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 855] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940
No. 855] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2018/AGRAHAYANA 13, 1940

IndiaCode

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि.1162(अ).—** केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 365(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 10 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 के, उप-नियम (1) में,-

(i) पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु डीलरों को, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदान यान विनिर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् निर्मित सभी यानो के साथ की जायेगी और डीलर ऐसे प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह बनाएंगे और उसे यान पर लगाएंगे।

परन्तु यह और कि यान विनिर्माताओं के डीलर भी पुराने यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा दी गई ऐसी प्लेटों को उस पर रजिस्ट्रीकरण का चिन्ह बनाने के पश्चात लगा सकते हैं।";

(ii) दूसरे परन्तुक में "और" शब्द के स्थान पर "भी" शब्द रखा जायेगा।

3- उक्त नियमों के, नियम 124 के उप-नियम (4) के सारणी में क्रम संख्या 21 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तः स्थापित की जाएगी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| "22 | अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट | नियम 50 | 1 अप्रैल, 2019". |

[फा. सं. आर.टी.-11028/01/2018-एम.वी.एल.]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 1151(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2018

**G.S.R. 1162(E).—**Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 365(E), dated the 10th April, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 10th April, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement:-**

(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force w.e.f 1st April, 2019.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 50, in sub-rule (1),-

(i) for the first proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that the High Security Registration Plate including the third registration mark, wherever required, shall be supplied by the vehicle manufacturers along with the vehicles manufactured on or after the 1st day of April, 2019 to their dealers and dealers shall place a mark of registration on such plates and affix them on the vehicle.

Provided further that the dealers of the vehicle manufacturers may also affix such plates, supplied by the vehicle manufacturers, on old vehicles after placing the registration mark of registration thereon";

(ii) in the second proviso, for the word "further", the word "also" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 124, in sub-rule (4), in the TABLE after serial number. 21, and the entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely: –

| | | | |
|---|---|---|---|
| "22 | High Security Registration Plate | Rule 50 | 1st April, 2019". |

[No. RT-11028/01/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1151 (E), dated the 29th November, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.05 16:48:53 +05'30'